अग्निपथ योजना

सन्दर्भ:

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को बरकरार रखा गया था।

मुख्य विशेषताएं:

- कुछ याचिकाकर्ताओं में वे उम्मीदवार शामिल थे जिन्हें सेना और वायु सेना की पिछली भर्ती प्रक्रिया में शॉर्टलिस्ट किया गया था।
- इनमें से कुछ उम्मीदवारों के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनके नाम वायु सेना में भर्ती के लिए एक अंतिम सूची में शामिल थे, लेकिन अग्निपथ योजना को अधिसूचित किए जाने पर भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।
- उन्होंने तर्क दिया कि प्रोमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत का हवाला देते हुए सरकार को पुरानी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

प्रोमिसरी एस्टॉपेल का सिद्धांत:

- प्रॉमिसरी एस्टॉपेल संविदात्मक कानूनों में विकसित एक अवधारणा है।
- कानून के तहत एक वैध अनुबंध के लिए पर्याप्त प्रतिफल के साथ एक समझौते की आवश्यकता होती है।
- इसके तहत एक "वचनकर्त्ता/प्रॉमिसरी" विचार करने योग्य नहीं होने के आधार पर किसी समझौते से पीछे हट सकता है।

- **भर्ती:** भर्ती मानक समान रहेंगे।
  - रैलियों के माध्यम से साल में दो बार भर्ती की जाएगी।
- **प्रशिक्षण अवधि:** चयन के बाद अभ्यर्थियों को छह माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  - उसके बाद, उम्मीदवारों को साढ़े तीन साल के लिए तैनात किया जाएगा।
- **वेतन और लाभ :** प्रारंभिक वेतन : 30,000 रुपये + अतिरिक्त लाभ। 4 साल की सेवा के अंत तक यह बढ़कर 40,000 तक रुपये हो जाएगा।
  - इस अवधि के दौरान, उनके वेतन का 30% सेवा निधि कार्यक्रम के तहत अलग रखा जाएगा।
  - सरकार हर महीने एक समान राशि का योगदान करेगी और उस पर ब्याज भी अर्जित होगा।
  - चार साल की अवधि के अंत में, प्रत्येक सैनिक को रुपये मिलेंगे
  - एकमुश्त राशि के रूप में लगभग 11.71 लाख रुपये मिलेंगे, जो कर-मुक्त होगी।
  - उन्हें चार साल के लिए 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा।
  - जो लोग फिर से चुने गए हैं, उनके लिए

अग्निपथ योजना के बारे में :

- इस योजना के तहत सालाना लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी।
- इन सैनिकों की भर्ती में से चार वर्ष के बाद केवल 25% सैनिकों को 15 वर्ष की अवधि हेतु संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा।
- योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा।

पात्रता मापदंड :

- नई प्रणाली केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है।
- 17.5 वर्ष और 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे।
- भर्ती वर्ष 2022-23 के लिए एक बार के उपाय के रूप में ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से 23 वर्ष कर दिया गया है।

प्रारंभिक चार साल की अवधि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं मानी जाएगी।

- **महत्व:** यह देश में 13 लाख से अधिक मजबूत सशस्त्र बलों के लिए स्थायी बल के स्तर को बहुत कम कर देगा।
    - यह रक्षा पेंशन बिल को काफी कम कर देगा।
    - बलों में औसत आयु 32 वर्ष है, जो छह से सात वर्षों में घटकर 26 हो जाएगी।
    - यह "भविष्य के लिए तैयार" सैनिकों का निर्माण करेगा।

इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

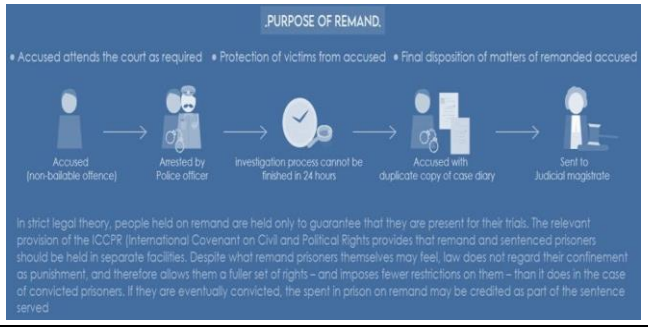

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई)

सन्दर्भ:

- हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष, 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) संख्या अधिसूचित की।

मुख्य विशेषताएं:

- अधिसूचना के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए CII संख्या 348 है।
- इस सीआईआई संख्या का उपयोग चालू वित्त वर्ष में लंबी अवधि की संपत्ति की बिक्री से होने वाले

- CII मुद्रास्फीति की गणना करने का एक तरीका है, अर्थात वर्षों में किसी वस्तु या सेवा की कीमत में अनुमानित वृद्धि।
- दूसरे शब्दों में, यह एक सूचकांक है जिसका उपयोग किसी परिसंपत्ति के मूल्य में मुद्रास्फीति-

पूंजीगत लाभ की गणना के लिए किया जाएगा।

- पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए लंबी अवधि की संपत्ति पर अनुक्रमित या मुद्रास्फीति समायोजित लागत की गणना करने के लिए सीआईआई संख्या का उपयोग किया जाता है।
- एक बार पूंजीगत लाभ की गणना हो जाने के बाद, ऐसे लाभ पर देय आयकर की गणना की जाती है।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) के बारे में

- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के तहत अधिसूचित है।

समायोजित वृद्धि की गणना के लिए किया जाता है।

- केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में सूचकांक का ध्यान रखती है और प्रकाशित करती है।
- आमतौर पर, सीआईआई की गणना के लिए, लंबी अवधि की पूंजी पर लाभ को ध्यान में रखा जाता है।
- पूंजीगत लाभ संपत्ति, प्लॉट, कृषि भूमि, बॉन्ड, स्टॉक आदि जैसी पूंजीगत संपत्ति है, जो लाभ पर बेची जाती है।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक = तत्काल पिछले वर्ष के लिए सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) में 75% औसत वृद्धि।

15 दिनों की अवधि के बाद पुलिस हिरासत

सन्दर्भ:

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि गिरफ्तारी की प्रारंभिक तिथि से 15 दिनों की अवधि के बाद एक अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है या नहीं, इस पर इसकी मौजूदा स्थिति की समीक्षा की आवश्यकता है।

मुख्य विशेषताएं:

- अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जो एक अभियुक्त की अतिरिक्त हिरासत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी।
- 1992 के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिन बीत

- जांच की अवधि के दौरान आगे की रिमांड केवल 15 दिन की पुलिस हिरासत के बाद ही न्यायिक हिरासत में हो सकती है।
- 15 दिन की रोक तब लागू नहीं होती है जब अभियुक्त कार्रवाई के एक अलग कारण से उत्पन्न एक अलग मामले में शामिल हो।
- फिर, भले ही वह एक मामले में न्यायिक हिरासत में हो, उसे औपचारिक रूप से दूसरे मामले में

जाने के बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

कानून पुलिस हिरासत के बारे में क्या कहता है?

- पुलिस हिरासत को नियंत्रित करने वाला कानून दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 द्वारा शासित होता है, जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही पुलिस को हिरासत में लेने की अनुमति देता है।
- सीआरपीसी की धारा 167 (2) मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह अभियुक्त को ऐसी हिरासत में हिरासत में रखने का अधिकार दे सकती है, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे,जो कुल पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकती।

गिरफ्तार किया जा सकता है और पुलिस फिर से हिरासत की मांग कर और 15 दिन का चक्र शुरू कर सकती है।

- सीआरपीसी एक आरोपी को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देता है यदि निर्धारित दिनों की संख्या के भीतर जांच पूरी नहीं की जाती है।

यह कानून किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की राज्य की शक्ति पर एक नियंत्रण है और यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जांच पूरी करे।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022

सन्दर्भ:

- भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि एक नया कानून (डिजि बिल 2022) जुलाई 2023 में संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने के लि

मुख्य विशेषताएं:

- इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियमों को प्रतिस्थापित करना है, जिन्हें 2011 में अधिसूचित किया गया था।
- यह विधेयक ऑनलाइन व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने के साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि इसे

- **डेटा फ़िड्यूशरी:** एक डेटा फ़िड्यूशरी एक पर्सन है, जिसमें राज्य, कंपनी, कोई न्यायिक इकाई या व्यक्ति शामिल है, जो व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करता है।
- **डेटा प्रिंसिपल:** जिस व्यक्ति से व्यक्तिगत डेटा संबंधित है और जहां व्यक्ति एक ऐसा बच्चा है, जिसमें बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक शामिल हैं।

इस तरह से संसाधित किया जाता है जो वैध उद्देश्यों को पूरा करते हुए व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार को मान्यता दे।

- यह बिल डेटा को सूचना, तथ्यों, अवधारणाओं, राय या निर्देशों के प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित करता है जिसे मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संप्रेषित, व्याख्या या संसाधित किया जा सकता है।
- यह डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रिंसिपल और डेटा प्रोसेसर को अलग से परिभाषित करता है।
- नया विधेयक फेसबुक के साथ उपयोगकर्ताओं के डेटा को साझा करने के लिए व्हाट्सएप की नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं में उठाई गई "सभी चिंताओं को दूर करेगा"।

- **डेटा प्रोसेसर:** कोई भी व्यक्ति जो डेटा फ़िड्यूशरी की ओर से व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करता है।
- **पर्सन:**
  - एक व्यक्ति,
  - एक हिंदू अविभाजित परिवार,
  - एक कंपनी,
  - एक फर्म,
  - व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं,
  - राज्य,
  - प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उप-धाराओं में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है।

संक्षिप्त सुर्खियां

ज़ोजिला सुरंग

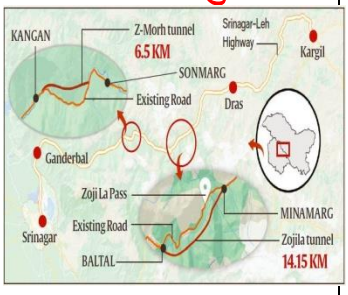

सन्दर्भ:

- हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने निर्माणाधीन ज़ोजिला सुरंग का निरीक्षण किया।

मुख्य विशेषताएं:

- क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए चल रही एक परियोजना के रूप में, 25,000 करोड़ रुपये की लागत से 19 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है।
- अब तक, भारत की सबसे लंबी कही जाने वाली ज़ोजिला सुरंग का 38% काम पूरा हो चुका है।
- इसके दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

ज़ोजिला सुरंग के बारे में

- ज़ोजिला सुरंग एशिया और भारत की सबसे लंबी (14.15 किलोमीटर) और सबसे

ऊंचाई पर स्थित सुरंग है।

- सोनमर्ग और कारगिल के बीच ज़ोजिला घाटों में एनएच 1 पर ज़ेड-मोड़ से ज़ोजिला सुरंग तक एक जोड़ने वाली सुरंग बनाई जाएगी।
- इसमें ज़ेड-मोड़ से ज़ोजिला के बीच 18.475 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का विकास और विस्तार शामिल है।
- 3 किमी के विस्तार का निर्माण किया जाएगा; बाकी नए विकसित होंगे।
- राजमार्ग में दो जुड़वां-ट्यूब सुरंगें, पांच पुल और दो हिम दीर्घाएं होंगी।
- यह निर्माण कार्य पूरे 33 किलोमीटर के दायरे में दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू - कश्मीर और लद्दाख के बीच फैला हुआ है।
- ज़ोजिला सुरंग केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू - कश्मीर के बीच सभी मौसम में संपर्क स्थापित करेगी।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी)

सन्दर्भ:

- यूरोपीय संघ के भीतर रूसी जीवाश्म ईंधन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का उपयोग बंद करने के अपने प्रयासों में एक बचाव का रास्ता बंद करने की कठिन चुनौती से निपटने के लिए राजनीतिक दबाव बन रहा है।

मुख्य विशेषताएं:

- रूस के फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से, यूरोपीय संघ ने रूस से समुद्री तेल और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इसने ईंधन पर प्रतिबंध नहीं लगाने के बावजूद रूसी पाइपलाइन गैस पर निर्भरता में भारी कटौती की है।
- यूरोपीय संघ के देशों ने 2027 तक रूसी जीवाश्म ईंधन के अपने उपयोग को समाप्त करने के लिए ब्लॉक की प्रतिज्ञा (bloc's pledge) को कमजोर करते हुए रूसी एलएनजी की अपनी समग्र खरीद में वृद्धि की है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG)

- एलएनजी लगभग -161 डिग्री सेल्सियस (-259 फ़ारेनहाइट) तक तीव्र शीतलन के माध्यम से एक तरल अवस्था (द्रवीकरण) में कम होने वाली प्राकृतिक गैस है। यह

तरल गैस मूल आयतन से 600 गुना छोटी है और पानी के वजन से आधी है।

- संपीड़ित जीवाश्म ईंधन, जो लगभग पूरी तरह से मीथेन से बना है - एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस - जहाज द्वारा दुनिया भर में पहुँचाया जा सकता है।
- अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद, कार्गो को फ्लोटिंग टर्मिनल में पुनर्गैसीकृत किया जाता है और पाइपलाइनों के माध्यम से पुनर्वितरित किया जाता है।

हानि :

- शीतलन, द्रवीकरण और परिवहन प्रक्रियाओं के साथ-साथ परिवहन के बाद के पुनर्गैसीकरण की प्रक्रियाओं के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- पूरी आपूर्ति श्रृंखला में मीथेन का नुकसान भी एलएनजी के उच्च उत्सर्जन में योगदान देता है।
- एलएनजी एक अनुमान के अनुसार पाइप्ड गैस की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक उत्सर्जन पैदा करती है, इसके तेजी से विस्तार से जलवायु लक्ष्यों से समझौता होने की संभावना है।
- **प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक:** संयुक्त राज्य अमेरिका> रूस> ईरान> चीन> कतर।

आरडी-191

सन्दर्भ:

- भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग भारतीय उद्योग को रूसी मूल के 'RD-191' सेमी-क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर रहा है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारतीय उद्योगों को भारत में रूसी मूल के रॉकेट इंजन का निर्माण करने में सक्षम बनाने के लिए है। यह भारत में निर्मित 'RD-191' इंजनों के निर्यात और भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM3 के हिस्से के रूप में इंजन का उपयोग करने की संभावना को भी खोलता है, जिससे इसका पेलोड बढ़ जाता है।
- 'RD-191' मिट्टी के तेल और तरल ऑक्सीजन से चलने वाला एक उच्च प्रदर्शन वाला रॉकेट इंजन है। यह सेमी-क्रायोजेनिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके ईंधन केरोसिन को कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है और ऑक्सीडाइज़र

	तरल ऑक्सीजन को सुपर-कूल्ड तापमान (-150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे) पर संग्रहित किया जाता है। • भारत वर्तमान में अपने संचालनात्मक रॉकेटों पर तीन प्रकार के इंजनों का संचालन करता है – • ठोस-ईंधन, तरल-ईंधन और क्रायोजेनिक (जहां तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को सुपर-कूल्ड तापमान पर संग्रहीत किया जाता है)।
जस्टिस रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट 	**सन्दर्भ:** • हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह जांच करने के लिए निर्धारित किया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंगनाथ मिश्रा आयोग की 2007 की रिपोर्ट का उपयोग दलित धर्मांतरितों के लिए कोटा तय करने के लिए किया जा सकता है या नहीं। **मुख्य विशेषताएं:** • न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने कहा कि रिपोर्ट उतनी बेपरवाह नहीं थी जैसा कि सरकार ने दावा किया था और सरकार को रिपोर्ट पर अपने रुख की फिर से जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। • अदालत ने पूछा कि क्या रिपोर्ट के अनुभवजन्य डेटा का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 से ईसाई धर्म और इस्लाम में परिवर्तित दलितों का बहिष्करण भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक था। • सरकार ने हाल ही में धर्म परिवर्तित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के सवाल पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक आयोग गठित किया था की जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं।
रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	**सन्दर्भ:** • हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE
सत्यमेव जयते

मुख्य विशेषताएं:

- सम्मेलन का उद्देश्य इष्टतम वित्तीय संसाधनों और रक्षा बजट के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ देश की रक्षा तैयारी में योगदान करना है।
- इसने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर सरकार के चल रहे प्रयासों का समर्थन करने के लिए रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान करने की भी मांग की।
- इस सम्मेलन का महत्व विश्व स्तर पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों और नीतियों के संदर्भ में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की क्षमता में निहित है।

कोडनेम ओरियन

सन्दर्भ:

- फ्रांस अप्रैल के तीसरे सप्ताह से 5 मई, 2023 तक एक बहुराष्ट्रीय वॉरगेम कोडनेम ओरियन की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह अभ्यास एक युद्ध परिदृश्य का अनुकरण करेगा और एक बहुराष्ट्रीय वातावरण में भाग लेने वाले देशों की वायु सेना की युद्ध क्षमताओं का परीक्षण करेगा।
- इस युद्धाभ्यास की पृष्ठभूमि वर्तमान रूस-यूक्रेन संघर्ष है, जहां नाटो यूक्रेन के खिलाफ रूस के कदमों का विरोध कर रहा है।
- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) पश्चिमी वायु कमान के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन से अपने राफेल लड़ाकू जेट विमानों के साथ ओरियन में भाग लेगी।
- इस अभ्यास में न केवल उनकी वायु सेना बल्कि उनकी थल सेना और नौसेना के साथ-साथ उनके सहयोगी अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं।
- ओरियन युद्धाभ्यास फ्रांस में होगा और इसमें हवा से हवा में युद्ध से लेकर जमीनी हमलों तक की युद्धक क्षमताएं शामिल होंगी। कुछ 7,000 नाटो सैनिकों ने कथित तौर पर अपने नाटो सहयोगियों की भूमि सेना से जुड़े ड्रिल में भाग लिया है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare